"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 जून 2005—ज्येष्ठ 27, शक 1927

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक ई-1-2/2003/1/2.—श्री नन्द कुमार, भा. प्र. से. (एम. एच. 1989) जिनकी सेवायें भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 13017/9/2004-अ.भा.से. (i), दिनांक 7-3-2005 के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन को अंत:संवर्गीय प्रतिनियुक्ति पर सौंपी गयी है, को तत्काल प्रभाव से अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त विशेष सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.

रायपुर, दिनांक 3 जून 2005

क्रमांक ई-1-2/2005/एक/2.—भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक 13017/59/2004-एआईएस (i), दिनांक 19-5-2005 के द्वारा श्री अंबालगन पी., भा.प्र.से. (R R : 2004), को भारतीय प्रशासनिक सेवा के उड़ीसा राज्य संवर्ग से छत्तीसगढ़ राज्य संवर्ग में स्थानांतरित (संवर्ग परिवर्तन) किया गया है. श्री अंबालगन पी., भा. प्र. से. (परिवीक्षाधीन) को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सहायक कलेक्टर, जांजगीर-चांपा के पद पर पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक ई-7/1/2003/1/2.—श्रीमती निधि छिब्बर, भा.प्र.से., सचिव, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 6-6-2005 से 14-6-2005 तक (09 दिवस) का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 15-6-2005 से 21-6-2005 तक (7 दिवस) का अर्धवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5-6-2005 एवं 22-6-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, राजस्व मण्डल, छ. ग., बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती छिब्बर, भा. प्र. से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती छिब्बर, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक ई-7/13/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23-4-2005 द्वारा श्री एम. के राउत, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को दिनांक 16-5-2005 से 3-6-2005 तक (19 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री राउत के शेष अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक ई-7/14/2004/1/2.—श्री नारायण सिंह, भा.प्र.से., सदस्य, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़, बिलासपुर को दिनांक 1-6-2005 से 30-6-2005 तक (30 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से आगामी आदेश तक सदस्य, राजस्व मण्डल, छ. ग., बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा. प्र. से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 31 मई 2005

क्रमांक ई-7/18/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 12-5-2005 द्वारा श्री विवेक ढॉड, भा.प्र.से. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मा. मुख्यमंत्री, आवास पर्यावरण, नगरीय विकास तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव-प्रौद्योगिकी विभाग को दिनांक 1-6-2005 से 13-6-2005 तक (13 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया है.

2. श्री ढॉड के उक्त अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री शिवराज सिंह, प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं खनिज साधन विभाग अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक ई-7/21/2004/1/2.—श्री अजय सिंह, भा. प्र. से. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 13-6-2005 से 2-7-2005 तक (20 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 11, 12-6-2005 एवं 3-7-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सिंह, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री सिंह, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिंह, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक ई-7/44/2004/1/2.—श्री विकास शील, भा.प्र.से., कलेक्टर, बिलासपुर को दिनांक 6-6-2005 से 21-6-2005 तक (16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5-6-2005 एवं 22-6-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री शील, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री शील, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शील, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री शील, भा.प्र.से. के उक्त अवकाश अवधि में श्री सोनमणी बोरा, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, बिलासपुर का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

रायपुर, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—श्रीमती मनिंदर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से., संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 30-5-2005 से 16-6-2005 तक (18 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 29-5-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में श्रीमती द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2005

क्रमांक ई-7/47/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 1-6-2005 द्वारा डॉ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, भा.प्र.से. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 30-5-2005 से 16-6-2005 तक (18 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त करते हुए, अब उन्हें दिनांक 6-6-2005 से 25-6-2005 तक अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 5-6-2005 एवं 26-6-2005 के शासकीय अवकाश को भी जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगी.

3. अवकाश काल में डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. द्विवेदी, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह (सामान्य) विभाग
(विभागीय परीक्षा प्रकोष्ठ)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 3 जून 2005

क्रमांक एफ-9-15/दो-गृह/2005.—पुलिस विभाग के अधिकारियों के लिये राज्य शासन द्वारा नियत विभागीय परीक्षा जो दिनांक 27

जनवरी 2005 को ''व्यवहारिक शाखा'' विषय में सम्पन्न हुई थी, में सम्मिलित निम्न परीक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :—

परीक्षा केन्द्र-रायपुर

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)	उत्तीर्ण होने का स्तर (4)
1.	डॉ. आनन्द छाबड़ा	अति. पुलिस अधीक्षक	उत्तीर्ण

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द तिवारी, सचिव.

आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक/एफ-1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ परियोजना प्रशासक एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालयों हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 19 परियोजनाओं हेतु कुल 285 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	परियोजना प्रशासक	12000-16500	12	प्रति परियोजना एक पद के मान से निम्न परियोजनाओं हेतु : 1. गरियाबंद 2. राजनांदगांव 3. डौंडी 4. गौरेला 5. अंबिकापुर 6. रामानुजगंज 7. सूरजपुर 8. धर्मजयगढ़ 9. बैकुण्ठपुर 10. कोरबा 11. जशपुर एवं 12. नगरी.
2.	सहायक परियोजना प्रशासक	8000-13500	07	प्रति परियोजना एक पद के मान से निम्न परियोजनाओं हेतु : 1. बीजापुर 2. सुकमा 3. दंतेवाड़ा 4. जगदलपुर 5. कोण्डागांव 6. नारायणपुर 7. भानुप्रतापपुर.
3.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5500-9000	19	01 पद प्रति परियोजना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	शीघ्र लेखक	4500-7000	19	01 पद प्रति परियोजना
5.	सहायक ग्रेड-2	4000-6000	38	02 पद प्रति परियोजना
6.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	57	03 पद प्रति परियोजना
7.	वाहन चालक	3050-4590	19	01 पद प्रति परियोजना
8.	भृत्य	2550-3200	57	03 पद प्रति परियोजना
9.	चौकीदार/फर्राश	कलेक्टर दर	19	01 पद प्रति परियोजना
10.	अंशकालीन स्वीपर	कलेक्टर दर	19	01 पद प्रति परियोजना
11.	डाटा एंट्री आपरेटर	3500-5200	19	01 पद प्रति परियोजना
		योग	285	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :—
   (1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
   (2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
   (3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
   (4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
   (5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
   (6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जा कर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-33-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-001-निर्देशन एवं प्रशासन-1483-जिला प्रशासन के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. क्रमांक 152/257/बजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2005

क्रमांक/एफ-1-7/25-1/आजावि/2004.—राज्य शासन एतद्द्वारा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय पहाड़ी कोरवा विकास अभिकरण, जशपुरनगर जिला जशपुर, कमार विकास अभिकरण, गरियाबंद, जिला रायपुर एवं अबूझमाड़ विकास अभिकरण, नारायणपुर जिला बस्तर हेतु वित्त विभाग की सहमति के उपरांत पद संरचना के अंतर्गत कुल 15 पदों की स्वीकृति निम्नानुसार प्रदान करता है :—

क्र. (1)	पदनाम (2)	वेतनमान (3)	पद संख्या (4)	रिमार्क (5)
1.	सहायक परियोजना प्रशासक	8000-13500	03	01 पद प्रति अभिकरण
2.	लेखापाल	4000-6000	03	01 पद प्रति अभिकरण
3.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	03	01 पद प्रति अभिकरण
4.	भृत्य	2550-3200	06	02 पद प्रति अभिक
		योग	15	

2. उपरोक्त पदों की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है :—
   (1) सेवा भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया जावेगा.
   (2) आयोजना के सभी पद अस्थायी होंगे एवं आयोजनेत्तर के पद स्थायी होंगे.
   (3) पद संरचना के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पद तब तक नहीं भरे जायेंगे जब तक इस प्रयोजन के लिए वित्त विभाग से पृथक से छूट प्राप्त न कर ली जाए.
   (4) चतुर्थ श्रेणी के कोई भी पद (आकस्मिकता-कलेक्टर दर पर) सीधी भर्ती से नहीं भरे जायेंगे.
   (5) स्वीकृति ज्ञापन में दर्शाये गए वेतनमान सही है और तत्स्थानी वेतन अनुसूची के अनुरूप हैं.
   (6) स्वीकृत पदों में नई नियुक्ति नहीं की जा कर क्षेत्रीय अमले का युक्ति-युक्तकरण किया जावेगा.

3. उक्त व्यय मांग संख्या-41-मुख्य शीर्ष-2225-अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग का कल्याण-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-0602-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिये भारत सरकार के अलावा राशियों से पोषित योजनाएं-800-अन्य व्यय-9819-विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण-14-आर्थिक सहायता/सहायक अनुदान के अंतर्गत विकलनीय होगा.

4. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यु. ओ. क्रमांक 152/257/वजट-3/2001 दिनांक 21-3-2005 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, उप-सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 मई 2005

क्रमांक एफ-1-32/खाद्य/2004/29.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर डॉ. ए. के. पाठक, उप नियंत्रक, नापतौल को संयुक्त नियंत्रक, नापतौल के पद पर, कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से वेतनमान रुपये 12000-375-16500 में पदोन्नत करता है. पदोन्नति उपरांत उन्हें संयुक्त नियंत्रक, नापतौल, रायपुर के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है.

2. संबंधित अधिकारी को वित्त विभाग के ज्ञाप क्र. 336/686/डी-17/नी/चार दिनांक 25-4-1983 अनुसार पदोन्नति आदेश प्राप्त करने के दिनांक से एक माह के अंदर नवीन वेतन निर्धारण हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करना होगा.

3. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद पर पदोन्नति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षण संबंधी नियमों/आदेशों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, संयुक्त सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2005

क्रमांक 506/362/2005/स्था/चार.—स्थानीय निवासियों की सुविधा की दृष्टि से भारतीय स्टेट बैंक की शाखाओं में शासकीय जमा

काउंटर खोला जाना है. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा भारतीय स्टेट बैंक की निम्नलिखित शाखाओं को शासकीय संव्यवहार हेतु अधिकृत करता है :—

(1) भारतीय स्टेट बैंक, लोरमी शाखा, जिला बिलासपुर

(2) भारतीय स्टेट बैंक, पाली शाखा, जिला कोरबा

(3) भारतीय स्टेट बैंक, डोंगरगांव शाखा, जिला राजनांदगांव

(4) भारतीय स्टेट बैंक, नेवरा शाखा, जिला रायपुर

Raipur, the 7th May 2005

No. 506/362/2005/Estt./IV.—Government deposit counters have to be opened in the branches of State Bank of India with a view to facilitate the local residents. Hence, the State Government do hereby authorise Government transaction with the following branches of State Bank of India :—

(1) State Bank of India, Lormi branch, Distt., Bilaspur.

(2) State Bank of India, Pali branch, Distt. Korba

(3) State Bank of India, Dongargaon branch Distt. Rajnandgaon.

(4) State Bank of India, Nevra branch, Distt. Raipur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, विशेष सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक 2162/वि-2/स्था/05.—राज्य शासन एतद्द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र चन्दखुरी, ज़िला रायपुर को स्थानांतरित कर कुरुद, जिला धमतरी में स्थापित करता है.

पंचायत सचिव प्रशिक्षण केन्द्र, कुरूद, जिला धमतरी को स्थानांतरित कर अंबिकापुर, जिला सरगुजा में स्थापित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. मिश्रा, विशेष सचिव.

समाज कल्याण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2005

विषय : नि:शक्त के क्षेत्र में राज्य स्तर पुरस्कार दिये जाने बाबत.

ज्ञा. क्र. 997/सक/25/2004-2005.—वर्ष 2004-2005 से राज्य शासन द्वारा नि:शक्त व्यक्तियों को समाज में एकीकृत करने एवं उन्हें अधिकार आधारित प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कृत करने का निर्णय लिया गया है. उक्त पुरस्कार प्रतिवर्ष "अन्तर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस" के अवसर पर दिये जायेंगे.

उक्त पुरस्कार वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 356/व-2/2005, दिनांक 19-5-2005 द्वारा स्वीकृति दी गई है पुरस्कार योजनाओं की श्रेणियां निम्नानुसार रहेंगी :—

1. **सर्वोत्तम नि:शक्त कर्मचारी** : नि:शक्त कर्मचारियों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना

क्र. (1)	श्रेणी (2)	संख्या (3)	पुरस्कार (4)
1.	दृष्टिहीन नि:शक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
2.	श्रवण नि:शक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
3.	अस्थि बाधित नि:शक्त व्यक्ति	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र, प्रमाण-पत्र

2. **नि:शक्त के सर्वोत्तम नियोक्ता** : नियोक्ता को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना

क्र. (1)	श्रेणी (2)	संख्या (3)	पुरस्कार (4)
1.	दृष्टिहीन नि:शक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
2.	श्रवण नि:शक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
3.	अस्थि बाधित नि:शक्त व्यक्ति	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग	1	10,000/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र

3. **सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था** : स्वैच्छिक संस्था को दिये जाने वाले पुरस्कारों की संरचना निम्नानुसार रहेगी :—

क्र. (1)	श्रेणी (2)	संख्या (3)	पुरस्कार (4)
1.	दृष्टि बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था.	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
2.	श्रवण बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था.	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
3.	अस्थि बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था.	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र
4.	प्रमस्तिष्क अंगघात/बहुविकलांग बाधित क्षेत्र में कार्य कर रही स्वैच्छिक संस्था.	1	5001/- नगद, प्रशस्ति पत्र तथा प्रमाण-पत्र

4. **नि:शक्तों के लिए कार्य कर रहे सर्वोत्तम जिला** : सभी जिलों में, उस जिले को सभी प्रकार के नि:शक्त व्यक्तियों के क्षेत्र में सर्वाधिक पुनर्वास के लिए अधिनियम में प्रावधानित सुविधाओं हेतु कार्य किया हो, उस जिले को निम्नानुसार पुरस्कृत किया जावेगा :—

1. एक शील्ड 2. प्रशस्ति पत्र 3. प्रमाण पत्र

5. **चयन प्रक्रिया** : पुरस्कारों हेतु प्रत्येक जिले को प्रतिनिधित्व देने को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिला स्तर पर प्रतिवर्ष 20 अगस्त से पूर्व उस जिले की सीमा अंतर्गत सर्वोत्तम नि:शक्त कर्मचारी, सर्वोत्तम नियोक्ता एवं सर्वोत्तम स्वैच्छिक संस्था के प्रस्ताव प्राप्त किये जाएंगे इन प्रस्ताव की उत्कृष्टता मूल्यांकन हेतु जिला स्तर पर समिति निम्नानुसार गठित की जाएगी :—

1. कलेक्टर	-	अध्यक्ष/या जिलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत अधिकारी.
2. उप संचालक	-	सचिव
3. पुनर्वास अधिकारी	-	सदस्य
4. जिला चिकित्सा अधिकारी	-	सदस्य
5. उप संचालक, जनसंपर्क अधिकारी	-	सदस्य
6. महाप्रबंधक जिला उद्योग	-	सदस्य
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी	-	सदस्य
8. पुनर्वासित नि:शक्तजन प्रत्येक संवर्ग से एक.	-	सदस्य
9. जिला रोजगार अधिकारी	-	सदस्य

जिला स्तर समिति प्रस्ताव प्रत्येक पुरस्कार हेतु प्राथमिकता निर्धारित करते हुए अधिकतम 3 नामांकन संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण को 31 अगस्त के पूर्व भेजेगी.

राज्य स्तरीय पुरस्कार : राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए निम्नानुसार समिति गठित होगी :—

1. मंत्री, समाज कल्याण	-	अध्यक्ष
2. सचिव, समाज कल्याण	-	सचिव

3. न्यायालय के सेवानिवृत्त जज	-	सदस्य
4. नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता (तीन) प्रत्येक संवर्ग से.	-	सदस्य
5. संस्कृति विभाग के सचिव	-	सदस्य
6. मानव अधिकार आयोग का अधिकारी	-	सदस्य
7. आयुक्त, नि:शक्तजन	-	सदस्य
8. सचिव, स्वास्थ्य विभाग	-	सदस्य
9. संचालक, पंचायत एवं समाज सेवा	-	संयोजक

प्रत्येक जिलों से प्राप्त सिफारिशों को उक्त समिति को प्रस्तुत किया जाएगा. उक्त समिति प्राप्त प्रस्ताव पर 30 सितम्बर तक निर्णय लेगी.

सर्वोत्तम नि:शक्त कर्मचारियों के चयन का मापदण्ड : नि:शक्त कर्मचारियों के लिए 5 पुरस्कार होंगे, जो सभी प्रकार के नि:शक्त कर्मचारियों के लिए एक-एक पुरस्कार होगा.

कर्मचारियों के मूल्यांकन का प्रस्ताव :

1. उत्पादन की दर
2. उपस्थिति में समय की पाबन्दी तथा नियमितता
3. वरिष्ठ और साथी कर्मचारियों के साथ सहयोग
4. गतिशीलता स्व-देखभाल व स्वतंत्रता की सीमा आदि
5. भौतिक पर्यावरण, उपस्कर, मशीनरी और प्रक्रिया आदि के समायोजन हेतु कोई अधिक मांग नहीं.
6. नि:शक्तों के संदर्भ में विशेष पारिश्रमिक हेतु कोई अतिरिक्त मांग नहीं.

सर्वोत्तम/उत्कृष्ट नियोक्ताओं का चयन करने के लिए मापदण्ड : नि:शक्त व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार प्रदान करने वाले उत्कृष्ट नियोक्ताओं को पुरस्कृत किया जावेगा. इसमें नि:शक्त नियोक्ता/उद्यमी शामिल है. नियोक्ता श्रेणी के अंतर्गत कुल 1 पुरस्कार होगा नियोक्ताओं के बारे में निम्नलिखित आधार पर मूल्यांकन करने का प्रस्ताव है :—

1. यह कि नियोक्ताओं ने नि:शक्त व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति सहानुभूति पूर्वक सूझबूझ दिखाया हो.
2. यह कि जब कभी आवश्यक हो तंत्र में छोटे-मोटे समायोजन/संशोधन किया गया हो.
3. यह कि बाधा मुक्त सहित कार्यस्थल पर पर्यावरणीय संशोधन किया गया है.
4. यह कि समान कार्य के लिए जैसा कि अन्य कर्मचारियों को दी जा रही वेतन दरों सहित नि:शक्त व्यक्तियों को वही सेवा शर्तें प्रदान की जा रही है.
5. यह कि जब कभी आवश्यक और संभाव्य हो ऐसे अतिरिक्त सुविधाएं अर्थात् आवास तथा परिवहन आदि मुहैया कराया गया हो.

नि:शक्तों के लिए कर रही स्वैच्छिक संस्थाओं को चयन करने का मापदण्ड : राज्य में उस स्वैच्छिक संस्था को पुरस्कार दिया जावेगा जो स्वैच्छिक संस्था नि:शक्त व्यक्तियों के सर्वोत्तम शिक्षा, रोजगार एवं यथोचित नि:शक्त कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत होनी चाहिए और नि:शक्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन तथा कवरेज संबंधी उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए :—

1. विभिन्न नि:शक्तता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवा शुरू की हो.
2. नई सेवाएं प्रारंभ की हो.
3. वर्तमान सेवाओं को सुधारने के लिए नई कार्य-नीतियां शुरू की हो.
4. पुनर्वास में आश्रितों को अनुकरण किया हो.
5. शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए.
6. नि:शक्तों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को प्रेरित करना, शामिल करना तथा भाग लेना.

प्रत्येक जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त मापदण्ड अनुसार प्रस्ताव 31 अगस्त तक भेजेंगे. परिशिष्ट-1 से 4 तक निर्धारित प्रारूप कलेक्टर द्वारा संचालक, पंचायत एवं समाज कल्याण को भेजा जाएगा.

निःशक्तों के लिए कर रहे सर्वोत्तम जिला के चयन करने का मापदंड : इस श्रेणी के अंतर्गत राज्य स्तरीय पुरस्कार होगा. पुरस्कार एक जिले को दिया जायेगा. जिला एक यथोचित निःशक्त कल्याण के क्षेत्रों में कार्यरत होनी चाहिए. साथ ही साथ निःशक्त व्यक्तियों के कार्य निष्पादन तथा कवरेज संबंधी उनकी गुणवत्ता उत्कृष्ट होनी चाहिए.

1. विभिन्न निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए व्यापक सेवा शुरू की हो.
2. नए कार्यक्रम को निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अनुकूल बनाया हो.
3. नई सेवाएं प्रारंभ की हो.
4. वर्तमान सेवाओं को सुधारने के लिए नई कार्य-नीतियां शुरू की हो.
5. शिक्षा/प्रशिक्षण/पुनर्वास आदि के क्षेत्र में उपलब्धियां उत्कृष्ट होनी चाहिए.
6. अपने जिला के क्षेत्र में ''आउटरीच'' सेवाओं के विस्तार करने में जिला का सहयोग.
7. निःशक्तों के पुनर्वास के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को प्रेरित करना, शामिल करना तथा भाग लेना.
8. सार्वजनिक भवनों/स्थलों को निःशक्तजनों के लिए बाधारहित बनाने हेतु कार्यवाही की हो.
9. स्वयं सेवी संगठन की सेवाओं का योगदान लिया हो.
10. कृत्रिम अंग एवं संसाधनों का प्रदाय किया हो.
11. छात्रवृत्ति एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन का प्रदाय.
12. जिलों से प्रतिवेदन की प्रस्तुति.

संलग्न : परिशिष्ट 1 से 4 तक.

उक्त पुरस्कार पर होने वाला व्यय मांग संख्या 34 शीर्ष 2235 सामाजिक सुरक्षा और समाज कल्याण 02 समाज कल्याण-101 विकलांगों का कल्याण-0101 राज्य आयोजना (सामान्य) योजना क्रमांक (4114) विश्व विकलांग वर्ष-23 अन्य प्रभार के अंतर्गत विकलनीय होगा.

उक्त योजना हेतु वित्त योजनांतर्गत वित्त विभाग ने स्वीकृति प्रदान की है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमंत पहारे, उप-सचिव.

परिशिष्ट-(1)

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए सिफारिश किए नियोजित नि:शक्तों/स्वनियोजित नि:शक्त व्यक्तियों का विवरण

फोटो

1. नाम अंग्रेजी तथा हिन्दी में ....
2. आवासीय पता ....
3. कार्यालय पता ....
4. क्या स्वनियोजित या नियोजित है ....
5. वेतनमान तथा कर्मचारी द्वारा प्राप्त वेतन ....
6. लिंग ....
7. आयु ....
8. नि:शक्तता का प्रारूप ....
9. नि:शक्तता का प्रतिशत (सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय) ....
10. शैक्षणिक तथा तकनीकी अर्हताओं का संक्षिप्त विवरण ....
11. किये जाने वाले कार्य का स्वरूप. ....
12. सहयोगी कर्मचारी से संबंध बहुत अच्छा/अच्छा/खराब ....
13. कार्य में निर्भरता ....
14. मासिक आय ....
15. पिछले 2 वर्षों के दौरान कर्मचारी को उनके कार्य के लिए क्या कोई प्रोत्साहन/पुरस्कार/प्रमाण-पत्र दिया गया है. ....
16. कर्मचारी का सामान्य मूल्यांकन बहुत अच्छा/अच्छा/खराब ....

कलेक्टर

जिला ....

परिशिष्ट-(2)

राज्य स्तरीय के लिए निःशक्तों के नियोक्ताओं का विवरण

1. वर्ष ....

2. संगठन का नाम ....

3. क्या सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निजी ....

4. संगठन द्वारा शुरू किये गये कार्य का स्वरूप ....

5. संगठन में कर्मचारियों की कुल संख्या पुरुष/महिला कुल ....

6. निःशक्त कर्मचारियों की संख्या पुरुष .... महिला .... कुल ....

7. कार्य का स्वरूप जिसमें निःशक्त व्यक्ति नियोजित किये गये हैं. ....

8. क्या इनकी सेवा शर्तें वही है जो अन्यों के लिए ....

9. अब तक निःशक्त व्यक्तियों को प्रशिक्षण और नियोजन के क्या विशेष प्रयास किये गये हैं तथा भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं. ....

10. गैर निःशक्त व्यक्तियों की उत्पादकता से निःशक्त व्यक्तियों की उत्पादकता से तुलना कैसे की जाती है. ....

कलेक्टर
जिला . . . .

परिशिष्ट-(3)

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिए ज़िले का विवरण

1. जिले का नाम ....
2. जिले का पत्राचार तथा टेलीग्राफिक का पता ....
3. जिले द्वारा शुरू किये गये कार्य का स्वरूप ....
4. जिले में कर्मचारियों की कुल संख्या (नि:शक्ततावार कर्मचारियों की संख्या का भी संकेत दें) ....
5. जिले द्वारा स्थानों तथा शामिल विकलांग व्यक्तियों की संख्या सहित जिले द्वारा किये गये कार्य के ब्यौरे. ....
6. पिछले 3 वर्षों में नि:शक्त कल्याण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में जिले की उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा योगदान उल्लेख करें. ....
7. क्या जिले ने विगत् में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है. यदि ऐसा है तो उसका उल्लेख करें और संक्षिप्त विवरण दें. ....
8. जिला सहित सेवा प्रदान की गई नि:शक्तों की संस्था तथा कार्यक्षेत्र. ....
9. संख्यात्मक उत्पादन के साथ जिले द्वारा किये गये विभिन्न कार्य कलापों को दर्शाने वाला ब्यौरा. ....

कलेक्टर
जिला . . . .

परिशिष्ट-(4)

राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए संस्था का विवरण

1. संस्था का नाम ....

2. संस्था का पत्राचार तथा टेलीग्राफिक का पता ....

3. संस्था द्वारा शुरू किए गए कार्य का स्वरूप ....

4. संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या ....

5. संस्था द्वारा शामिल किए गए नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या तथा उनके लिए किए गए कार्य का विवरण. ....

6. पिछले तीन साल में नि:शक्त कल्याण तथा पुनर्वास के क्षेत्र में संस्था की उत्कृष्ट उपलब्धियों तथा योगदान का उल्लेख करें. ....

7. क्या संस्था ने विगत में कोई पुरस्कार प्राप्त किया है. यदि ऐसा है तो उसका उल्लेख करें और संक्षिप्त विवरण दें. ....

8. संख्यात्मक उत्पादन के साथ संस्था द्वारा किए गए विभिन्न कार्य कलापों को दर्शाने वाला ब्यौरा. ....

कलेक्टर
जिला ....

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 5 अगस्त 2004

क्रमांक एफ 10-12/2004/20.—राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम" का गठन करता है जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे :—

1. मंत्री, स्कूल शिक्षा, छत्तीसगढ़ — पदेन अध्यक्ष
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग — पदेन सदस्य सचिव, सह प्रबंध संचालक

2. "छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम" में अन्य पदाधिकारी शासन द्वारा परिशिष्ट "अ" अनुसार अनुमोदित उपविधियों के अनुसार होंगे.

3. उपरोक्तानुसार गठित "छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम" का पंजीकरण सोसाइटी के रूप में छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1973 के अंतर्गत कराया जावे.

4. उक्त सोसाइटी की उपविधियां परिशिष्ट "अ" अनुसार राज्य शासन द्वारा अनुमोदित की गयी है, जो सोसाइटी द्वारा अंगीकार की जायेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. पैकरा, संयुक्त सचिव.

राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/23 अ/82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	भोथाडीह प.ह.नं. 35	0.214	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.).	टेंगना नाला के निर्माणाधीन सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/24 अ/82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	सिनोधा	0.072	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.).	करा नाला के सेतु का पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/25 अ/82 वर्ष 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	भंवरगढ़ प.ह.नं. 23	0.041	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.).	निर्माणाधीन करानाला सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 7 जून 2005

क्रमांक 1428/अ वि अ./भू-अर्जन 6-अ/82/सन् 2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	धरमपुर प.ह.नं. 116	41.30	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद.	धरमपुर जलाशय योजना के अंतर्गत बंड लाइन एवं स्पील चैनल निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुन्द के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, कलक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक 707/लो.पा./2004/भू.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	धमधा	लिटिया	4.53	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग.	तुमाखुर्द जलाशय क्रमांक (1) हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक 710/ले.पा./2004/भू.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	पऊवारा	4.34	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	जंजगिरी डायवर्सन हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक 713/ले.पा./2004/भू.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	जंजगिरी	1.75	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	जंजगिरी डायवर्सन हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 1 जून 2005

क्रमांक 716/ले.पा./2004/भू.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	दुर्ग	रिसामा	7.04	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग, छ. ग.	जंजगिरी डायवर्सन हेतु भूमि अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/5737/5/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	गांगपुर	0.121	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, कोरबा.	छुरी जलाशय के स्पील चैनल

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/5738/2/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	नेवसा	1.75	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, कोरबा.	हरदी नेवसा जलाशय नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/5739/1/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरवा	कटघोरा	सेन्द्रीपाली	3.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कोरबा.	जलाशय निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 मई 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/05/5740/2/अ-82/2000-01.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरबा	कटघोरा	बम्हनीकोना	4.46	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन, कोरबा.	बम्हनीकोना जलाशय बांध निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 9 जुलाई 2003

संशोधित

क्रमांक-क/भू-अर्जन/1190.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजेपुर	झालरौदा प.ह.नं. 3	1.166	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 6, सक्ती.	बर्रा माइनर नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. सारथी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 17 मार्च 2005

क्रमांक 5152-क/भू-अर्जन.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जांजगीर	गतवा प.ह.नं. 26	0.890	कार्यपालन यंत्री, परियोजना क्रियान्वयन इकाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जिला-जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गतवा से केराकछार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	नवागढ़	नेगुरडीह प.ह.नं. 17	0.020	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, भ./स., चांपा संभाग, चांपा.	जांजगीर केरा मार्ग निर्माण हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2005

रा. प्र. क्र. 5 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	बरहोल	13.32	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर (छ. ग.).	बरहोल जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 मई 2005

रा. प्र. क्र. 6 अ-82/2004-2005.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सूरजपुर	चन्द्रपुर	0.47	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, सूरजपुर (छ. ग.).	सोनपुर जलाशय के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र. 15/ अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	भुसू	0.144	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर.	रजपुरी जलाशय के नहर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र. 6/ अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	बेलजोरा	49.375	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, अंबिकापुर.	बेलजोरा जलाशय योजना के डूब क्षेत्र.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 2 जून 2005

रा. प्र. क्र. 7/ अ-82/2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	सीतापुर	कुनमेरा	7.212	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, जशपुर.	मैंनी व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मई 2005

क्र. 335/क/भू-अर्जन/3 (B)-अ-82/वर्ष 03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-सिमगा

(ग) नगर/ग्राम-चण्डी, प. ह. नं. 29

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.469 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
303/9	0.061
303/7	0.061
304/1	0.073
303/6	0.008
297/8	0.008
302	0.073
303/8	0.004
300/1, 324/1, 325/1, 326/1	0.121
300/2, 324/2, 325/2, 326/2	0.060
योग 15	0.469

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-करही जलाशय दायीं तट नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

क्र. 354/क/भू-अर्जन/2-अ-82/वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) ज़िला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-करही, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.728 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
284/1	0.354
284/2	0.362
278/1	0.113
278/2	0.259
288	0.640
योग 5	1.728

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-करही जलाशय स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 9 जून 2005

क्र. 355/क/भू-अर्जन/1-अ-82/वर्ष 04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-करही, प. ह. नं. 29
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.064 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
447	0.134
408	0.049
409	0.073
386	0.146
385	0.012
321	0.032
254	0.032
312	0.016
315	0.065
316	0.008
320	0.053
317	0.028
318	0.004
319	0.065
253	0.065
324	0.069
325	0.016
277	0.004
276	0.049
326	0.004
271	0.036
269	0.032
270	0.032
314	0.040
योग 24	1.064

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-करही जलाशय बायीं तट नहर-निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मण्डल, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दन्तेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 जून 2005

क्र. 2690/भू-अर्जन/31/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपट्टनम
- (ग) नगर/ग्राम-भद्रकाली, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.39 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	9	0.37
	12	0.32
	13	0.30
	14	0.40
योग	4	1.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 202 निर्माण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 जून 2005

क्र. 2691/भू-अर्जन/33/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपट्टनम
- (ग) नगर/ग्राम-गोटाईगुड़ा, प. ह. नं. 9
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.69 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	50/21	0.05
	53	0.26
	125	0.17
	126/2	0.21
योग	4	0.69

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-राष्ट्रीय राजमार्ग 202/के चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

दन्तेवाड़ा, दिनांक 3 जून 2005

क्र. 2687/भू-अर्जन/38/अ-82/2005.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा
- (ख) तहसील-भोपालपट्टनम
- (ग) नगर/ग्राम-गोल्लागुड़ा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.82 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
168/1क	0.02
166	0.25
161/1	0.25
9/1	0.30
योग 4	0.82

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है-सड़क चौड़ीकरण योजना.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
पुरानी गंज मण्डी परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 अप्रैल 2005

क्रमांक/बी-1/2-1/89/04-05.—छ. ग. राज्य की निम्नलिखित कृषि उपज मण्डी समितियों का कार्यकाल दिनांक 27-4-2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप, छ. ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं उजागर सिंह प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, रायपुर एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ 3 में अंकित कृषि उपज मण्डी समितियों के लिये उनके नाम के सम्मुख स्तंभ 4 में दर्शित अधिकारी को दिनांक 28-4-2005 से आगामी आदेश तक की कालावधि के लिये भारसाधक अधिकारी नियुक्त करता हूं :—

क्रमांक (1)	जिले का नाम (2)	मंडी का नाम (3)	नियुक्त भारसाधक अधिकारी का नाम (4)
1.	रायपुर	राजिम	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, फिंगेश्वर जिला-रायपुर.
2.		गरियाबंद	सहायक परियोजना अधिकारी, कृषि, गरियाबंद जिला-रायपुर.

उजागर सिंह,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

Bilaspur, the 5th February 2003

No. 54/Confdl./2003/II-2-90/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon. the Chief Justice has been pleased to appoint Shri T. K. Jha, Registrar (Vigilance), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur as his Lordship's Principal Secretary in addition to his duties of the persent post, from the date he assumes charge of his new assignment.

Bilaspur, the 5th February 2003

No. 56/Confdl./2003/II-2-90/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon. the Chief Justice has been pleased to appoint Shri Prabhat Kumar Shastri, Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Department, Raipur as Additional Registrar (Administration) and Shri D. K. Tiwari, Additional District & Sessions Judge, Jashpurnagar as Additional Registrar (District Establishment) in the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, from the date they assume charge of their respective duties.

Bilaspur, the 14th Feburuary 2003

No. 65/Confdl./2003/II-2-90/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Costitution of India, Hon. the Chief Justice has been pleasd to order that Shri Prabhat Kumar Shastri may continue to work as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur till 31st March 2003.

Bilaspur, the 3rd March 2003

No. 77/Confdl./2003/II-2-4/2002.—In exercse of the powers confered by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattigarh, hereby, issues a certificate of confirmation under Section 9 (d) of the Madhya Pradesh Higher Judicial Service (Recruitment & Conditions of Service) Rules, 1994 in favour of the following Members of Higher Judicial Service to the effect that they would have been confirmed in Higher Juicial Service but for non-availability of permanent posts, and as soon as permanent posts become available, they shall be confirmed.

TABLE

S. No.	Name of Judicial Officer	Date of appointment in H.J.S.	Present place of posting
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Shri Akhil Kumar Samant Ray	05-09-1998	Durg
2.	Shri Pooran nath Tembhurkar	10-09-1998	Balod
3.	Shri Brijlal Tidke	10-09-1998	Baloda-Bazar
4.	Shri Mahadeo Katulkar	07-09-1998	Raipur
5.	Shri Ram Prasanna Sharma	02-08-2000	Janjgir

(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Smt. Ranoo Diwekar	07-06-1999	Raipur
7.	Shri Ashok Kumar Pathak	05-06-1999	Baikunthpur
8.	Shri Satish Kumar Singh	31-07-2000	Raipur

Bilaspur, the 31st March 2003

No. 113/Confdl./2003/II-2-90/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon. the Chief Justice has been pleased to stay the transfer of Shri Prabhat Kumar Shastri, Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur as Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur until further orders.

Bilaspur, the 10th April 2003

No. 1756/Est./2003/I-7-3/2002.—The High Court of Chhattisgarh is pleased to declare the 14th day of April 2003 as public holiday for the High Court and all Subordinate Courts of the State on account of birth anniversary of Late Dr. B. R. Ambedkar.

Bilaspur, the 23rd April 2003

No. 126/Confdl./2003/II-2-90/2001.—In exercise of the powers conferred by Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to cancel the posting order of Shri Prabhat Kumar Shastri as Additional Registrar (Administration), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, and has been further pleased to appoint Shri Arvind Singh Chandel, VI Additional District & Sesssion Judge, Durg as Additional Registrar (Administration) in the High Court of Chhattisgarh at Bilaspur from the date he assumes charge of his duties

Bilaspur, the 8th May 2003

No. 148/Confdl./2003/II-3-1/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh hereby, transfers the following Civil Judge Class-II & Judicial Magistrate First Class as specified in column No. (2) in the same capacity from the place shown at column No. (3) and posts him at the place and post mentioned against his name in column No. (4) & (6) respectively from the date he assumes charge of his Office :—

TABLE

Sl. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	District (5)	Remarks (6)
1.	Shri Sajjan Lal Chakradhari	Kawardha	Ambikapur	Surguja	As V Civil Judge, Class-II in the vacant Court.

Bilaspur, the 3rd July 2003

No. 2809/III-6-8/2000.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, the High Court of Chhattisgarh is pleased to appoint the Chief Judicial Magistrate of the District mentioned in Column (2) of the Schedule given below to be the Chairman of the Juvenile Justice Board constitued for the said District by the State Government in exercise of its powers under sub-sections (1) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (No. 56 of 2000) comprising the Revenue Districts mentioned in Column (3) of the Schedule.

SCHEDULE

Sl. No. (1)	Name of the District (2)	Revenue District comprised in the Juvenile Justice Board (3)
1.	Bastar	Bastar, Kanker (North Bastar) Dantewada (South Bastar)
2.	Bilaspur	Bilaspur Janjgir-Champa Korba.
3.	Durg	Durg
4.	Raigarh	Raigarh, Jashpur
5.	Raipur	Raipur Mahasamund, Dhamtari
6.	Rajnandgaon	Rajnandgaon Kawardha
7.	Surguja (Ambikapur)	Surguja (Ambikapur) Korea (Baikunthpur)

Bilaspur, the 24th August 2003

No.3434/III-6-2/2003.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of the Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby specially empowers under sub-section (2) of Section 34 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 all the Chief Judicial Magistrates Additional Chief Judicial Magistrates and Judicial Magistrates First Class of the State to try the offences punishable under the said Act.

Bilaspur, the 18th August 2003

No.244/Confdl./2003/II-15-22/2001.—In the Notification No. 5032/II-15-22/2001 dated 23rd September, 2002 of the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur, regarding the "Scheme for Appointment of Arbitrators by the Chief Justice of Chhattisgarh High Court, 2002", the following words are substituted/added :—

1. In the first line of first para, the word "Arbitration" may be read in place of "Arbitrator".

2. At serial No. 1, the word "of "may be read in between the words "the Chief Justice" and "the Chhattisgarh High Court, 2002".

3. At serial No. 2, the word "or" may be read in place of "of" in between the words "sub-section (4)" and "sub-section (5)".

4. At serial No. 3, para 1, the words "25 lakhs" may be read in place of "25 lakes".

5. At serial No. 3, para 2, the words "25 lakhs" may be read in place of "25 lakes".

6. At serial No. 3, para 3, the word "falling" may be read in place of "failling".

7. At serial No. 4, para 2, the word "his" may be read in between the words "submit" and "report."

8. At serial No. 10, the words "stamp or Rs. 1,000/-" may be read as "stamp of Rs. 1,000/-".

9. At the end of serial No. 12, the words "BY ORDER OF HONBLE THE CHIEF JUSTICE, Sd/- (B. K. SHRIVASTAVA), REGISTRAR GENERAL" may be read.

Bilaspur, the 26th September 2003

No. 293/Confdl./2003/II-2-1-2003.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the followings members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and posts them as District Judge of the Civil District mentioned in column No. (6) of the table below with effect from 2-10-2003.

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Sessions Judge for the Sessions Division specified against their respective names in colmn No. (5) of the table below :—

TABLE

S. No.	Name	From	To	Sessions Divission	Civil District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Shri J. K. S. Rajput (On return from deputation from the post of Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur).	Raipur	Dantewara	Dantewara	Dantewara As District & Sessions Judge

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
ओमेगा टोप्पो, संयुक्त सचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Raghubir Singh (On return from deputation from the post of Special Judge under SC/ST (Prevention of Atrocities) Act, (Ambikapur).	Ambikapur	Jashpur	Jashpur	Jashpur As District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 26th September 2003

No. 295/Confdl./2003/II-3-1/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following Civil Judges Class-II & Judicial Magistrates First Class as specified in column No. (2) from the place mentioned at column (3) and posts them in the same capacity at the place mentioned in column No. (4) of the Civil District mentioned in column No. (5) of the table below with effect from 2-10-2003 :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Civil District (5)	Remarks (6)
1.	Shri Vinod Kumar Dewangan.	Surajpur	Pratappur	Surguja	Civil Judge Class-II
2.	Shri Shrinarayan Singh	Raipur	Bijapur	Dantewara	Civil Judge Class-II

Bilaspur, the 1st October 2003

No. 302/Confdl./2003/II-2-3/2002.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, grants Selection Grade Scale of Rs. 15,100-400-18,300 to the following members of Higher Judicial Service holding Junior Administrative Grade Scale specified in column No. (2) of the table below with effect from 30-09-2003 :—

In exercise of the powers conferred under Rule 17 of the Chhattisgarh Higher Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1994, the High Court of Chhattisgarh, hereby relaxes the condition of completion of 8 years qualifying service in Higher Judicial Service as prescribed in sub-rule (2) of Rule 5 of the Rules in respect of the following Judicial Officers but they shall be entitled to draw annual increment only on completion of one year after 8 years of qualifying service in Higher Judicial Service :—

TABLE

S. No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Presently posted as (3)	Date of completion of 8 years service in H.J.S. (4)
1.	Shri Alok Jha	Joint Secretary, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur.	09-10-2003

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	Shri Chandra Bhushan Bajpai.	Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Raipur.	04-06-2005
3.	Shri Tapan Kumar Chakravarti.	Additional District & Sessions Judge, Mungeli.	16-10-2003
4.	Shri Surendra Tiwari	I Additional District & Sessions Judge, Rajnandgaon.	03-06-2004
5.	Smt. Anita Jha	Deputy Secretary, Chhattisgarh Human Rights Commission, Raipur.	04-06-2004
6.	Shri Khelan Das	IV Additional District & Sessions Judge, Durg.	04-06-2004
7.	Shri Buddhram Nikunj	V Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	27-05-2005
8.	Shri Chhabilal Patel.	Additional District & Sessons Judge Dhamtari.	04-06-2004
9.	Shri Arvind Kumar Shrivastava.	III Additional District & Sessions Judge, Bilaspur.	24-05-2004

Bilaspur, the 1st October 2003

No. 304/Confdl./2003/II-2-1/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby transfers the followings members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and posts them as District Judge of the Civil District mentioned in column No. (6) of the table below from the date they assume charge of their office :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Sessions Judge for the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Civil District (6)
1.	Shri Dilip Kumar Bhatt.	Bilaspur	Ambikapur	Surguja	Surguja. As District & Sessions Judge.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Rangnath Chandrakar.	Durg	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur. As District & Sessions Judge.
3.	Shri Heera Ram Gurupanch.	Raipur	Durg	Durg	Durg. As District & Sessions Judge.

Bilaspur, the 1st October 2003

No. 305/Confdl./2003/II-2-1/2003.—In exercise of the powers conferred by Article 235 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh, hereby, transfers the following members of Higher Judicial Service specified in column No. (2) from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and posts them as Special Judge of the Special Court specified in column No. (6) of the table below established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act 1989 from the date they assume charge of their office :—

In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 9 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the following members of Higher Judicial Service as Additional Session, Judge in the Sessions Division specified against their respective names in column No. (5) of the table below :—

TABLE

S. No. (1)	Name (2)	From (3)	To. (4)	Sessions Division (5)	Special Court (6)
1.	Smt. Nirmala Singh	Raipur	Ambikapur	Surguja	Ambikapur. As Special Judge.
2.	Shri Buddhram Nikunj	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur	Bilaspur. As Special Judge in place of Shri D. K. Bhatt.

Bilaspur, the 14th October 2003

No. 81/Estt./2003/I-7-3/2002.—The High Cour of Chhattisgarh is pleased to declare the 27th of October 2003 as holiday for the High Court and its Registry on account of "Bhai Dooj" and in lieu thereof, Saturday, falling on 22nd of November 2003, as working day for the High Cour.

The High Court of Chhattisgarh is further pleased to declare the 27th of October 2003 as holiday for all the Subordinate Courts of this State on account of "Bhai Dooj".

Bilaspur, the 31st October 2003

No. 343/Confdl./2003/II-2-99/2001.—On the request of Smt. Vimla Singh Kapoor, IInd Additional District & Sessions Judge, Mahasamund, the High Court of Chhattisgarh has been pleased to grant permission for change of her home District from Revenue District Bilaspur to the Revenue District Dhamtari with a direction that necessary changes be effected in all her service records.

Bilaspur, the 29th December 2003

No. 122/I-7-3/2003 (Pt. Ist).—It is hereby notified that the following is the List of Holidays, Vacations for the Courts Subordinate to the High Court of Chhattisgarh, for the year 2004.

S. No.	Name of Festivals	No. of Holidays	Dates as per Gregorian Calendar	Days of the week
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Republic Day	1	26-01-2004	MONDAY
2.	Id-Ul-Zuha	1	02-02-2004	MONDAY
3.	Mahashivratri	1	18-02-2004	WEDNESDAY
4.	Moharram	1	02-03-2004	TUESDAY
5.	Holi	1	06-03-2004	SATURDAY
6.	Ram Navami	1	30-03-2004	TUESDAY
7.	Mahavir Jayanti	1	03-04-2004	SATURDAY
8.	Good Friday	1	09-04-2004	FRIDAY
9.	Ambedkar Jayanti	1	14-04-2004	WEDNESDAY
10.	Milad-Un-Nabi	1	03-05-2004	MONDAY
11.	Budha Purnima	1	04-05-2004	TUESDAY
12.	Raksha Bandhan	1	30-08-2004	MONDAY
13.	Janmashtami	1	07-09-2004	TUESDAY
14.	Ganesh Chaturthi	1	18-09-2004	SATURDAY
15.	Gandhi Jayanti	1	02-10-2004	SATURDAY
16.	Pitramoksha Amavasya	1	13-10-2004	WEDNESDAY
17.	Dushera	1	23-10-2004	SATURDAY
18.	Deepawali	2	11-11-2004 AND 12-11-2004	THURSDAY AND FRIDAY
19.	Id-Ul-Fitr	1	15-11-2004	MONDAY
20.	Guru Ghasi Das Jayanti	1	18-12-2004	SATURDAY
21.	Christmas	1	25-12-2004	SATURDAY

Notes :—

1. All the Sundays shall be holidays for the Subordinate Courts including the Sundays falling during Summer Vacation.

2. The second Saturdays of every month falling on 10th January, 2004, 14th Ferbruary, 2004, [illegible]h March, 2004 10th April, 2004, 8th May, 2004, 12th June, 2004, 10th July, 2004, 14th August, 2004, 11th September, 2004, 9th October, 2004, 13th November, 2004 and 11th December, 2004 shall be closed Saturdays for the Subordinate Courts.

3. The Subordinate Courts shall remain closed from 17-5-2004 to 11-6-2004 on account of Summer Vacation but each Judge shall be entitled to avail of such vacation for a maximum period of 15 days only.

4. The Subordinate Courts shall observe the holidays declared by Central/State Government on account of sad demise of the President of India or the Prime Minister of India dying in harness.

5. Holidays declared on account of Id-Ul-Zuha, Moharram, Milad-Un-Nabi and Id-Ul-Fitr are subject to change depending upon the visibility of the Moon. If the State Government declares any change in these dates through TV/AIR/Newspaper, the same will be followed.

6. All the Judges and the staff of the Subordinate Cours shall be entitled to avail of three optional holidays in the year, out of the list of optional holidays as may be declared by the State Government as optional holidays for the year 2004.

7. The Subordinate Courts shall observe the local holidays as declared by the competent authority in respective Revenue Districts on account of local festivals of the District.

8. The Independence Day dated 15-08-2004 falls on Sunday therefore, no holiday is declared separately.

By the order of the High Court,
B. K. SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 28 जनवरी 2003

क्रमांक 475/दो-2-78/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमति शकुन्तला दास जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर को दिनांक 18-11-2002 से दिनांक 20-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमति शकुन्तला दास जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिलासपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमति शकुन्तला दास उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 546/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 7-11-2002 से दिनांक 11-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक [illegible]-11-2002 से 6-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बस्तर स्थान जगदलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 547/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 9-12-2002 से दिनांक 13-12-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 8-12-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 14-12-2002 व 15-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बस्तर स्थान जगदलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 548/दो-2-10/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 2-12-2002 से दिनांक 7-12-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1-12-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 8-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कुमार श्रीवास्तव उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 549/दो-2-22/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्रीमती मैत्रेयी माथुर, विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव को दिनांक 19-12-2002 से दिनांक 20-12-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21-12-2002 व 22-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मैत्रेयी माथुर को विशेष न्यायाधीश, राजनांदगांव पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मैत्रेयी माथुर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहती.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 550/दो-2-40/2001.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री रघुबीर सिंह, विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर को दिनांक 26-11-2002 से दिनांक 29-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 4 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री रघुबीर सिंह को विशेष न्यायाधीश, अंबिकापुर पुनः पद स्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रघुबीर सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 31 जनवरी 2003

क्रमांक 551/दो-3-19/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री संदीप बक्शी, विशेष न्यायाधीश, रायपुर को दिनांक 25-11-2002 से दिनांक 30-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 6 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24-11-2002 एवं पश्चात् में दिनांक 1-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री संदीप बक्शी को विशेष न्यायाधीश, रायपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संदीप बक्शी उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 760/दो-2-36/2002.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बस्तर स्थान जगदलपुर को दिनांक 24-1-2003 से दिनांक 30-1-2003 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 7 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एल. झंवर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बस्तर स्थान जगदलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एल. झंवर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 763/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 2-9-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 765/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश; रायगढ़ को दिनांक 16-9-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2005

क्रमांक 767/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 25-9-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 769/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 27-9-2002 से दिनांक 28-9-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 771/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 3-10-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 773/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 9-10-2002 से दिनांक 10-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 775/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 18-10-2002 से दिनांक 26-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 9 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26-12-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

लघुकृत अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 777/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 30-10-2002 से दिनांक 31-10-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 2 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1-11-2002 से 6-11-2002 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 779/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 8-11-2002 से दिनांक 12-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पद स्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 781/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 27-11-2002 से दिनांक 29-11-2002 तक दोनों दिन सम्मिलित करके 3 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2003

क्रमांक 783/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 7-12-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

बिलासपुर, दिनांक 13 फरवरी 2005

क्रमांक 785/दो-2-4/2000.—उच्च न्यायालय द्वारा श्री ए. एल. निमोणकर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को दिनांक 27-12-2002 को 1 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री ए. एल. निमोणकर, जिला एवं सत्र न्यायाधीश को रायगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाश काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. एल. निमोणकर उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
के. पी. एस. नायर, डिप्टी रजिस्ट्रार.

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 1179/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1) (ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ सुश्री विनीता लवंग, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रायगढ़ को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 5 मार्च 2003

क्रमांक 1181/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1)(ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्री पी. के. सिंह, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगढ़, राजस्व जिला रायगढ़ को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 अप्रैल 2003

क्रमांक 1825/तीन-6-8/2003.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 260 (1)(ग) सहपठित धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ श्रीमती गिरिजा देवी मेरावी, न्यायिक मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, राजनांदगांव को उक्त संहिता की धारा 260 में उल्लेखित अपराधों का संक्षेपतः विचारण करने हेतु विशेषतया सशक्त करता है.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
डी. के. तिवारी, एडीशनल रजिस्ट्रार.